[illegible] [illegible]

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

[illegible] [illegible]

**अतारांकित प्रश्न** [illegible] :3129

06 [illegible], 2019 [illegible] [illegible]**प्रश्**[illegible] [illegible] [illegible]

## पीएमएसएसवाई के अंतगत तृतीयक परिचया और चिकित्सा शिक्षा

3129. [illegible] [illegible] [illegible]

क[illegible] **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(क) क्या यह सच है कि देश म तृतीयक परिचया अस्पतालों और संशो[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2003 [illegible] [illegible] [illegible] स्वास्थ्य सुरक्षा योजना ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

(ख) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] क[illegible] [illegible];

(ग) क्या योजना के अंतगत सरकार ने 20 नए एम्स स्थापित करने और 71 [illegible] [illegible] चरणबद्ध उन्नयन रखने का निणय लिया है;

(घ) [illegible] [illegible] तो इस योजना की वतमान स्थिति क्या है और कितने एम्स कायरत ह [illegible] [illegible] [illegible] तिथि तक अस्पताल-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible];

(ङ) क्या यह सच है कि जीएमसीआई और मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौते के [illegible] दिशानिदशों और प्रावधानों [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]; [illegible]

(च) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] क[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] म सरकार द्वारा क्या कारवाई [illegible] [illegible] [illegible]?

**[illegible]**

**[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)**

(क) [illegible] ([illegible]): [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] अस्पतालों को उपलब्ध[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] शिक्षा को सुधारने के लिए अगस्त, 2003 [illegible] प्रधानमंत्री

स□□स्थ्य □□क्ष□ □□□□□ (□□□□□□□□□□□□□) का घोषणा का गई थी, □□ □□ कद्रीय क्षेत्र □ी □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □:

i. <u>□□ □म्□ □ी स□□□□□</u>: अभी तक घोषित किए गए कुल 22 □□ □म्□ □ □,□□: □म्□ □□□□□□□□ □ □ □ □न्□ □द्र□ □म्□ □□ □□□ी ि□□ □□ी □□

ii. <u>□□□□□ □□ज□/कद्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों (जीएमसी)/□स□□□ों □□ □न□□□□</u>: □□□ □□□ स□ि□□□ि□□ी ब□□क/ट्रॉमा सटर का निमाण और मेडिकल उपस्क□ □□ प्र□□□ शामिल है और अभी तक तेईस राज्यों □ 75 □ि□□□□□□□ □□□□ □□□□ि□□ ि□□□ □□□ □□

(□) □□ (□): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) म नए एम्स □ी स□□पना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा □□□□ों/□स□□नों (जीएमसीआई) का उन्न□□ समाविष्ट □□□□ □□ □□□ि□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□ ि□स□□□ 20 □□ □म्□ □□ □□□ करने तथा सात चरणों म 75 □□□□□□□□ □न□यन परियोजनाओं के लिए किया गया।

□□□□□□□□□□□ □□ □□□□ □म्□ □□ □□□□□□ □न□□□ □ि□□□□□□□□□ी □□□□□ स्थिति निम्न□□ □□:

(i) □□□□□, □□□□श□□, □□□□□, □□□□, रायपुर और ऋषिकेश म छ: (6) □म्□ □□□ि□□ □□

□□□□ □□□□□, □म्□ □□□□□□ी, □म्□ मंगलागिरि और एम्स □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□2018-19 म प्रारंभ कर दी गई थीं। एम्स □□□□□ □ □□ 2019-20 □ ओपीडी सेवाएं प्रारंभ हो चुकी ह।

इसके अतिरिक्त, □म्□ मंगलागिरि और एम्स नागपुर म एमबीबीएस पाठ्यक्रम के ि□□ □□□□ि□□ □त्र 50 □□त्रों □□□□□ 2018-19 □ □रू □□ ि□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□ □□ स□□□□ □□ठ्□क्र□ □□ प्र□□ □त्र 50 □□□ों □□□□□ □म्□ □□□□□□ी, □ल□□□□, □□□□□□, □ि□□, □□□□□ □□ □□□□□□□ □ □□ 2019-20 □□ □त्र □□प्र□□□ □□ □□□ □□

(ii) [illegible] 75 [illegible] 43 [illegible] निमाण काय पहले हा पूरा हो चुका है।

[illegible] का स्थिति [illegible]

(ङ): [illegible]-II के तहत सरकारा चिकित्सा [illegible], [illegible] हेतु चिकित्सा [illegible]पकरणां का खराद स्व[illegible] [illegible] [illegible]द्वारा का गई थी। इसके [illegible], [illegible]-I [illegible]-II के तहत प्रोन्न[illegible] [illegible] [illegible]-[illegible]ण[illegible] चिकित्सा उपकरणां का खराद का काय सोंपा गया था, [illegible] 30 [illegible] रु[illegible], [illegible] द्[illegible] [illegible] त्र[illegible] को खराद म किसी प्रकार का खामी का सूचना नहां मिला है। तथापि, [illegible]-III, IV [illegible] V [illegible] के लिए उपकरणां का खराद भारत [illegible] द्[illegible] [illegible]क[illegible] [illegible] एचआईटाईएस (खराद सहयोग एजसी) द्वारा का गई है।

(च): प्रश्न [illegible]

[illegible]

**[illegible]**

| क्र.[illegible] | [illegible] | [illegible] / [illegible] | [illegible] / प्रगति |
|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 1. श्री वकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान, तिरु1[illegible] | [illegible] |
| | | 2. सिद्धाथ [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 3. [illegible], [illegible] | 92% |
| | | **4. एम्स मंगलागिरो** | [illegible] ([illegible])<br>[illegible] (75%)<br>अस्पताल और शैक्षणिक कैम्पस (38%) |
| 2 | [illegible] | 1. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible], [illegible] | 84% |
| | | 3. **एम्स गुवाहाटो** | 7.22% |
| 3 | [illegible] | 1. [illegible], [illegible] | 59% |
| | | 2. [illegible], [illegible] | 65% |
| | | 3. [illegible] मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, [illegible] | 2% |
| | | 4. [illegible], [illegible] | 27% |
| | | 5. [illegible], [illegible] | 29% |
| | | 6. [illegible], [illegible] | निष्पा[illegible] |
| | | **7. [illegible], [illegible]** | [illegible] |
| | | **8. [illegible], [illegible]** | [illegible] |
| 4 | [illegible] | 1. [illegible], [illegible] | 22% |
| | | 2. [illegible], [illegible] | 25% |
| | | **3. [illegible]** | [illegible] |
| 5 | दिल्ली | 1. [illegible] | - |
| 6 | [illegible] | 1. [illegible], [illegible] | 53% |
| 7 | [illegible] | 1. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 3. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 4. [illegible], [illegible] | 39.2% |
| | | 5. [illegible] | निष्पादन एजसी नियुक्त |
| 8 | [illegible] | 1. [illegible] बीडी शमा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | **2. एम्स मनेठो** | [illegible] |
| 9 | [illegible] | 1. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2. ईंदिरा गांधी सरकारो मेडिकल कॉलेज, [illegible] | 58% |
| | | 3. **एम्स बिलासपुर** | 14% |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 1. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | **3. [illegible]** | मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | [illegible]डब्ल्यूडी द्वारा मूल्यांकन के तहत निर्माण एजसी की नियुक्ति के लिए तकनीकी बोलियां। |
| | | **4. एम्स कश्मीर** | मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया [illegible] निर्माण के लिए एनआईटी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा [illegible] |
| 11 | [illegible] | 1.[illegible]न्द्र आयुर्विज्ञान [illegible] ([illegible]), [illegible] | [illegible] |
| | | 2.[illegible] | 93% |
| | | **3. [illegible]** | 3.5% |
| 12 | [illegible] | 1.[illegible] | [illegible] |
| | | 2. विजयनगर आयुर्विज्ञान [illegible] | [illegible] |
| | | 3. [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | 1.[illegible] | [illegible] |
| | | 2.[illegible] | 77% |
| | | 3.[illegible] | 75% |
| | | 4. [illegible] | 25% |
| 14 | [illegible] प्र[illegible] | 1.[illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible] | [illegible] |
| | | 3. [illegible] | [illegible] |
| | | 4. [illegible] | 67% |
| | | **5. [illegible]** | [illegible] |
| 15 | [illegible]ष्ट्र | 1. [illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible] | [illegible] |
| | | 3. [illegible] | [illegible] |
| | | 4.[illegible] | [illegible] |
| | | 5.[illegible] | [illegible] |
| | | 6. श्री [illegible] | 87% |
| | | **7. [illegible]** | [illegible] ([illegible])<br>[illegible] (80%)<br>अस्पताल और शैक्षणिक कैम्पस (42.5%) |
| 16 | [illegible] | 1.[illegible] | [illegible] |
| | | 2.[illegible] | 66.50% |
| | | 3.[illegible] | 1% |
| | | **4. एम्स भुवनेश्वर** | [illegible] |
| 17 | [illegible] | 1. [illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible] | [illegible] |
| | | 3. [illegible] | 44.56% |
| 18 | [illegible] | 1.[illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible] | [illegible] |
| | | 3.[illegible] | [illegible] |
| | | 4.[illegible] | 54% |
| | | **5. [illegible]** | [illegible] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | [illegible] | 1.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 3.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 4.तिरुनेलवेली [illegible], तिरुनेलवेली | [illegible] |
| | | **5. [illegible]** | पूर्व निवेश गतिविधियां चल रही है |
| 20 | [illegible] | 1. [illegible] आयुर्विज्ञान संस्थान, [illegible] | [illegible] |
| | | 2.[illegible] आयुर्विज्ञान संस्थान, [illegible] | 76% |
| | | 3.[illegible], [illegible] | 96.20% |
| | | **4. [illegible]** | निष्पादन एजेंसी नियुक्त |
| 21 | त्रि[illegible] | 1.[illegible], त्रि[illegible] | 72% |
| 22 | उत्तर प्रदेश | 1. [illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2. [illegible], वाराणसी में ट्रामा केंद्र ([illegible]), | [illegible] |
| | | 3. [illegible] मुस्लिम विश्वविद्यालय, [illegible] | [illegible] |
| | | 4.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 5.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 6.[illegible], [illegible] | 94% |
| | | 7.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 8.[illegible], [illegible] | 18% |
| | | 9.[illegible], [illegible] | 33% |
| | | 10.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 11.[illegible], [illegible] | 40% |
| | | **12. एम्स रायबरेली** | [illegible] 65% |
| | | **13. [illegible]** | 52.01% |
| 23 | [illegible] | **1. [illegible]** | [illegible] |
| 24 | [illegible] | 1.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 2.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 3.[illegible], [illegible] | [illegible] |
| | | 4.[illegible], दार्जिलिंग | 62% |
| | | **5. [illegible]** | [illegible] (86%)<br>[illegible] (65%)<br>अस्पताल और शैक्षणिक कैम्पस (43%) |

****